राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– प.5(155) निपेवि/नियम/2015/ 2629-2829 H दिनांक 18.09.2015

1. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय :– पेंशनरी लाभों के भुगतान के विलम्ब के मामलों में ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 में पेंशनरी लाभों के भुगतान में 60 दिन से अधिक विलम्ब होने पर ब्याज भुगतान का प्रावधान है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ 15 (3) एफ डी/रूल्स/97/पार्ट–। दिनांक 09.09.2008 द्वारा नियम 89 की टिप्पणी संख्या 2 के अंतर्गत पूर्णतः निर्दोष घोषित कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के अगले दिन से, मृत्यु के मामलों में जांच कार्यवाई निरस्त होने पर मृत्यु तिथि के अगले दिन से तथा अन्य मामलों में निर्णय की तिथि के अगले दिन से राशि भुगतान योग्य मानी गई है। उप नियम (2) के अंतर्गत स्वीकृति जारी करने हेतु प्रशासनिक विभाग सक्षम है।

ब्याज भुगतान की मांग से सम्बन्धित 100 से अधिक वाद उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे मामलों में ब्याज के भुगतान में तत्परता से कार्यवाही नहीं की जाती। इस कारण अनावश्यक वाद की कार्यवाही चलती रहती है। ऐसे सभी अवमानना प्रकरणों में निदेशक पेंशन को माननीय न्यायालय द्वारा भी बुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा न्यायालय को यह बताने के लिए विवश होना पड़ता है कि प्रशासनिक विभाग की सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः सभी सम्बन्धित से अनुरोध है कि प्रशासनिक निष्क्रियता/कमी के कारण पेंशनरी लाभों के भुगतान में विलम्ब होने पर ब्याज की मांग से सम्बन्धित मामलों का अविलम्ब परीक्षण किया जावे तथा ब्याज के भुगतान की स्वीकृति जारी कर भुगतान हेतु पेंशन विभाग को भिजवाई जावें। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विलम्ब के लिये दोषी का दायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही अलग से की जानी चाहिए। ऐसी कार्यवाही पूरी होने तक ब्याज भुगतान की कार्यवाही रोकने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(के.के. गैडियोक)
निदेशक

letter j